

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 372]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई 2022—आषाढ़ 23, शक 1944

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2022

क्र. एफ. 53-1-रा. स.-यू ए-5-2016.—नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ग) एवं (घ) के अंतर्गत नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है :—

(क) धारा 22(2)(क)-पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध शिक्षण और विस्तारी शिक्षण का विशेष ज्ञान रखने वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो वैज्ञानिक / शिक्षाविद—

डॉ. एस. पी. शुक्ला, डीन (सेवानिवृत्त)
पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय,
रीवा, 10/715, अनंतपुर, (शिव दुर्गा मंदिर के पास)
रीवा मध्यप्रदेश-487001.

(ग) धारा 22(2)(ग) -पशु पालन या मत्स्य पालन से संबंधित उद्यमियों का एक प्रतिनिधि—

श्री मोहन नागर,
भारत भारती आवासीय
विद्यालय परिसर जामठी
बैतूल मध्यप्रदेश.

(घ) धारा 22(2)(घ)-एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता—

श्रीमती राधा मिश्रा,
शिव शक्तिपुरम कॉलोनी,
धावरी गली नं. 5,
सतना मध्यप्रदेश.

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमान जैन, राज्यपाल के उपसचिव.